

16.7.19.

बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अधिवक्ता अपी० और न अपी० उपास्थित आये। अतः पन्नावली अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पन्नावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद जाणा कारखील दफतर ले।

(1)

पन्नावली अधिकारी,
पदेन
पन्नावली अदम पैरवी
पन्नावली अदम हाजरी